न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व अपील सं0 10/2024

भीवाराम पुत्र श्योजीराम जाति गुर्जर उम्र करीबन 36 वर्ष निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. रामवतार पुत्र श्योजीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0।
2. लाली देवी पत्नि स्व0 रामधन
3. मंशा पुत्री स्व. रामधन
4. नाबालिग माया गुर्जर पुत्री स्व. रामधन जरिये सरक्षक माता लाली देवी
5. नाबालिग रेखा गुर्जर पुत्री स्व. रामधन जरिये सरक्षंक माता लाली देवी
6. नाबालिग सोमती गुर्जर पुत्री सव. रामधन जरिये सरक्षक माता लाली देवी
7. श्योराज पुत्र स्व. रामधन सर्व जाति गुर्जर सर्व निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
8. ग्राम पंचायत खातौली जरिये सरपंच , ग्राम पंचायत खातौली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान ।
9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

– रेस्पोडेन्टस्

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम, 1956

अपीलार्थी श्री भीवाराम पुत्र श्योजीराम ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी/पिता/पति रामधन पुत्र श्योजीराम द्वारा ग्राम टोंकडा पटवार हल्का टोंकडा के मूल खसरा नम्बर 62 रकबा 25 बीघा 09 बिस्वा भूमि मे से हीरालाल पुत्र काना व जीवण बेवा काना से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि 70/509 वा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 05.12.2006 के द्वारा कय किया गया तथा उसी के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। जिसमें ग्राम पंचायत [illegible] की बैठक दिनांक 20.12.2006 को प्रस्ताव संख्या 1(3) में अपीलाधिन नामान्तरण [illegible] गया है जिसका सेग्रिकेशन में मिन बट्टा होकर वर्तमान में खसरा नम्बर 38[illegible]/62 रकबा [illegible] हेक्टयर भूमि है जो [illegible]न में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 लगायत 7 के नाम दर्ज है। जिसकी [illegible]कारी अपीलार्थी को [illegible]री हल्का से जानकारी करने पर प्राप्त हुई उपरोक्त अपीलाधिन नामान्तरण अपीलार्थी को छोडते हुए प्रत्यर्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.11 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested

1 के 1/2 हिस्सा व 2 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी/पति /पिता रामधन पुत्र श्योजीराम के हिस्से में दर्ज किया गया है जो उपरोक्त नामान्तकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर बैचान नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जबकी अपीलार्थी द्वारा प्रतिफल राशि अदा करके जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र संयुक्त रूप से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की गयी है जिसमें अपीलार्थी का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी/पति/पिता रामधन पुत्र श्योजीराम का 1/3 हिस्सा होने से नामान्तकरण इसी अनुसार स्वीकृत किया जाना चाहिए था उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तकरण से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की जा रही है। श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत खातौली द्वारा स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 20.12.2006 न्याय नियम व रिकार्ड के विपरित होने से अपास्त करने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक रूप से बिना जांच किये केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी/पिता/पति रामधन पुत्र श्योजीराम के पक्ष में अपीलाधीन जरिये विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण तस्दीक करना चाहिए था चुंकि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र में अपीलान्ट द्वारा भी खरीद की गयी है, जो उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करना चाहिए की गयी है, जो उपरोक्त अपीलाधीन नामान्तरण विधि विरूद्ध एवं अपीलान्ट के हितो के विपरित होने से अवैधानिक है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पर्वाधिकारी आपस में सगे भाई एवं तीनो व्यक्तियों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद की गयी है जिसका रजिस्टर्ड विकय पत्र निष्पादित करवाया गया था पटवारी हल्का व सरपंच द्वारा मिली भगत करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के पूर्वाधिकारी के पक्ष में बैचान नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया है इस प्रकार विधि के अनुसार ऐसा नामान्तकरण तस्दीक नही किया गया है इस प्रकार विधि के अनुसार ऐसा नामान्तकरण प्रारम्भ से अपीलार्थी के विधिक अधिकारो के विपरित व शून्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत खातौली द्वारा ग्राम टोंकडा के नामान्तकरण संख्या 238 दिनांक 20.12.2006 को अप्रास्त फरमाया जाकर ग्राम टोकडा के पूर्व खसरा नम्बर 62 के वर्तमान मिन खसरा नम्बर 384/62 रकबा 0.5663 हैक्टेयर भूमि में रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20.12.2006 के अनुसार अपीलार्थी का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ल[illegible] 1/3 हिस्से अनुसार पुनः बैचाना नामान्तकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र दि[illegible]क/स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार महोदय किशनगढ/ रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को आ[illegible] प्रदान कराने की कृपा करावें। प्रकरण को दिनांक 06.02.2024 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.02.11 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested

बावजूद तामीली के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक .3.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई दिनांक 04.11.2024 को वकील प्रार्थी की अपील प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा अपील प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया । हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना हम उचित समझते है। रेस्पोडेन्टस् सं0 8 द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये उक्त नामान्तकरण स्वीकार किया था। जिसकी जानकारी अपीलांट को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 02.02.2024 को हुई है, जो सद्‌माविक देरी है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील में हुई देरी को क्षम्य् किया जाता है।

हमारे द्वारा वकील अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 2006005782 दिनांक 05.12.2006 के अनुसार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 लगायत 07 के पूर्वाधिकारी द्वारा वादअधीन भूमि खसरा संख्या 62 का 70/509 वा हिस्सा क्रय किया गया था, नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 20.12.2006 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही खोला गया किन्तु उसमें प्रार्थी के नाम का अंकन नहीं किया गया, नामान्तरण प्रार्थी के नाम क्यों नही खोला गया, इसका कोई विधिक कारण नामान्तरण में अंकित नहीं है, जिससे जाहिर है कि नामान्तरण संख्या 238 दिनांक 20.12.2006 विधिविरूद्व है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खातौली द्वारा ग्राम टोंकडा के नामान्तकरण संख्या 238 दिनांक 20.12.2006 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार किशनगढ को आदेश दिये जातें है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की नियमानुसार सुनवाई कर नामान्तरण पुनः नामान्तरण दर्ज करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.11 12:22:58 IST
Reason: SelfAttested